



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -02.10.2023

थाना कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं फर्जी तरीके से बैनामा करा कर रुपये ठगने वाले 10 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 30.09.2023 को वादी श्री कोमल सिंह पुत्र बाबूराम सिंह नि0 ग्राम सुशील नगर थाना कोत0 उरई द्वारा थाना कोत0 कालपी में तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण 1. नमन सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 2. संदीप सिंह पुत्र रामसुमरन सिंह 3. शैलेन्द्र उर्फ काका पुत्र रामसुमरन निवासीगण आलमपुर थाना कालपी 4. राहुल कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल(रजिस्ट्री ऑफिस संविदा लिपिक तहसील कालपी) नि0 मोहल्ला मनीगंज थाना कालपी 5. महेन्द्र पुत्र रामबाबू नि0 मोहल्ला टरननगंज थाना कालपी 6. रामसिंह पुत्र रामदास नि0 मो0 राजमहल सदर बाजार थाना कालपी जनपद जालौन आदि 07 नफर अज्ञात द्वारा षडयन्त्र रचकर धोखाधड़ी कर कूट रचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर तथा किसी अज्ञात महिला को विद्यावती पुत्री मुनीश्वर के रूप में पेश कर भूमि का फर्जी बैनामा करा देना व वादी से 01 करोड़ 10 लाख रुपये की ठगी कर लेना। तहरीर के आधार पर थाना कालपी में मु0अ0स0-303/23 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्तगण द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये के गबन की बात प्रकाश में आ रही है गहराई से विवेचना की जा रही है।

आज दिनांक 02.10.2023 को थाना कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा घटना से सम्बन्धित 10 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. नमन पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मुहल्ला आलमपुर बाईपास कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन।
2. महेन्द्र कुमार गौतम पुत्र रामबाबू निवासी मु0 आलमपुर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
3. जीतेन्द्र कुमार सिंह पुत्र कुंवर बहादुर निवासी बम्हौरी कस्बा व थाना कदौरा जनपद जालौन।
4. मनीष पुत्र कन्हैयालाल निवासी मुहल्ला नयारामनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन।
5. आशीष सिंह वैश्य पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम छौंक थाना कालपी जनपद जालौन।
6. सचिन सिंह पुत्र सदन कुमार निवासी मुहल्ला सदर बाजार कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन।
7. जमगमोहन पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम धमना थाना कालपी जनपद जालौन हाल पता मुहल्ला आलमपुर खोयामण्डी गौशाला थाना कालपी जनपद जालौन।
8. अनमोल मिश्रा पुत्र रामदत्त मिश्रा निवासी मुहल्ला खतराना टौला छौराहा थाना सदर जनपद इटावा हालपता रामकृष्णनगर रामस्वीट हाऊस दिवियापुर जनपद औरैया।
9. प्रशान्त तिवारी पुत्र सनतोष कुमार तिवारी निवासी ग्राम केशमपुर पसईपुर थान फफूद जनपद औरैया
10. आशुतोष दुबे पुत्र राजेश कुमार दुबे निवासी तिवारीयान थाना फफूद जनपद औरैया।

बरामदगी का विवरण-

1. 17 लाख 80 हजार रुपये नगद
2. एक सोने की चेन (कीमत करीब 1 लाख 42 हजार रुपये)
3. 02 अदद जाली आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कालपी मय टीम।